Shodh Sangam Patrika
E-ISSN: 3049-0707, Volume 3 | Issue 4 | (October - December 2026)

राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त और पथभ्रष्ट होती आधुनिक पत्रकारिता

डॉ. सुरेन्द्र कुमार
एसोसिएट प्रोफ़ेसर (हिन्दी), राजकीय महाविद्यालय, भिवानी, हरियाणा

सारांश

लोकतांत्रिक व्यवस्था में पत्रकारिता को समाज का दर्पण और 'चौथा स्तंभ' माना गया है, जिसका प्राथमिक दायित्व सत्ता और संस्थाओं की निगरानी करते हुए नागरिकों तक तथ्यपरक, निष्पक्ष और संतुलित सूचनाएँ पहुँचाना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(क) इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आधार प्रदान करता है। तथापि, समकालीन पत्रकारिता राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी दबावों के कारण अपनी विश्वसनीयता खो रही है। वैचारिक ध्रुवीकरण, टीआरपी की अंधी दौड़, कॉरपोरेट नियंत्रण, पेड न्यूज, 'एजेंडा पत्रकारिता', फेक न्यूज, सरकारी हस्तक्षेप और 'मीडिया ट्रायल' जैसी प्रवृत्तियों ने इस स्तंभ को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। डिजिटल युग में सूचनाओं की गति तो बढ़ी है, किंतु सत्यापन कमजोर होने से तथ्य, विचार, प्रचार और दुष्प्रचार के बीच का अंतर धुँधला हो गया है, जिससे भारत में समाचारों के प्रति जनविश्वास घटा है। प्रस्तुत शोधपत्र में आधुनिक पत्रकारिता के इस राजनीतिक पूर्वाग्रह और पथभ्रष्टता के कारणों, लोकतंत्र पर इसके दुष्प्रभावों तथा खोई हुई विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित करने के उपायों का गहन विश्लेषण किया गया है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि पत्रकारिता को किसी राजनीतिक सत्ता, विचारधारा या कॉरपोरेट हितों का साधन बनने के बजाय सार्वजनिक हित, सत्य, संवैधानिक मूल्यों और पत्रकारिता की नैतिकता के प्रति पूरी तरह निष्ठावान रहना होगा।

बीज शब्द- पत्रकारिता, मीडिया, राजनीतिक पूर्वाग्रह, मीडिया ट्रायल, फेक न्यूज, टीआरपी, पेड न्यूज, लोकतंत्र, जनविश्वास, पत्रकारिता की नैतिकता।

प्रस्तावना

लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था में मीडिया को सामान्यतः 'चौथा स्तंभ' कहा जाता है। यद्यपि भारतीय संविधान में 'चौथे स्तंभ' के रूप में मीडिया की कोई पृथक संवैधानिक संज्ञा नहीं है, फिर भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ सार्वजनिक विमर्श, सूचना और सत्ता की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली संस्था के रूप में पत्रकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ लोकतंत्र ऐसी पत्रकारिता की अपेक्षा करता है जो सत्ता से कठिन प्रश्न पूछ सके और आवश्यकता पड़ने पर 'सत्य के पक्ष में सत्ता के सामने खड़ी हो'। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(क) नागरिकों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह स्वतंत्रता लोकतांत्रिक संवाद की आधारशिला है, यद्यपि अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। पत्रकारिता इसी स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए नागरिकों को शासन, राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन से संबंधित सूचनाएँ उपलब्ध कराती है। परंतु वर्तमान समय में पत्रकारिता के सामने एक विरोधाभासी स्थिति दिखाई देती है। एक ओर डिजिटल तकनीक ने समाचार के संकलन, प्रसारण और उपभोग को अभूतपूर्व रूप से आसान बनाया है; दूसरी ओर समाचार की तीव्रता, प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक ध्रुवीकरण ने निष्पक्ष पत्रकारिता के सामने नई चुनौतियाँ पैदा की हैं। मीडिया संस्थानों पर राजनीतिक, आर्थिक और विज्ञापन-संबंधी दबाव बढ़े हैं। समाचार और विचार के बीच की सीमा कई बार अस्पष्ट हो जाती है। सोशल मीडिया के कारण कोई अपुष्ट सूचना कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुँच सकती है।

Reuters Institute की 2026 की भारत-संबंधी रिपोर्ट बताती है कि "ऑनलाइन समाचार और सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ रहा है, जबकि समाचारों पर समग्र विश्वास घटकर 39 प्रतिशत रह गया है।"[1] यह स्थिति पत्रकारिता के सामने उपस्थित विश्वसनीयता के संकट को स्पष्ट करती है। अतः प्रश्न केवल यह नहीं है कि पत्रकारिता में राजनीतिक पूर्वाग्रह क्यों बढ़ रहा है, बल्कि यह भी है कि ऐसी पत्रकारिता लोकतंत्र, सामाजिक समरसता और नागरिक विवेक को किस प्रकार प्रभावित कर रही है तथा पत्रकारिता को पुनः विश्वसनीय कैसे बनाया जा सकता है।

राजनीतिक पूर्वाग्रह और पथभ्रष्ट होती आधुनिक पत्रकारिता

राजनीतिक पूर्वाग्रह से आशय समाचारों के चयन, प्रस्तुतीकरण, भाषा, शीर्षक, दृश्य सामग्री अथवा विश्लेषण में किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा, दल अथवा सत्ता के पक्ष या विपक्ष में असंतुलित झुकाव से है। पूर्वाग्रह हमेशा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देता। कई बार यह इस बात से प्रकट होता है कि कौन-सी खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई, किस खबर को उपेक्षित किया गया, किस घटना को 'ब्रेकिंग न्यूज' बनाया गया और किस महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या को स्थान नहीं मिला। आधुनिक पत्रकारिता की समस्या केवल राजनीतिक पक्षधरता तक सीमित नहीं है। बाजार, विज्ञापन, स्वामित्व, टीआरपी, सोशल मीडिया एल्गोरिद्म और पाठक की पसंद ने भी समाचार-चयन को प्रभावित किया है। पत्रकार की स्वतंत्रता अनेक बार पाठक की अपेक्षाओं, समाचार समूह की नीतियों और विज्ञापन-संबंधी दबावों के बीच सीमित हो जाती है। "एक समय था जब एक पत्रकार की कलम में वो ताक़त थी कि उसकी कलम से लिखा गया एक-एक शब्द देश की राजधानी में बैठे नेता, राजनेता, व अधिकारियों की कुर्सी को हिला देता था, पत्रकारिता ने हमारे देश की आज़ादी में अहम् भूमिका निभाई, देश जब गुलाम था तब अंग्रेजी हुकूमत के पाँव उखाड़ने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से अनेक समाचार पत्र, पत्रिकाओं का सम्पादन शुरू किया गया। इन्ही समाचार-पत्र पत्रिकाओं ने देश को बाँधने व एकजुट करने में महती भूमिका निभाई थी। अपने शुरुआत के दिनों में पत्रकारिता एक मिशन के रूप में जन्मी थी जिसका उद्देश्य सामाजिक चेतना को और अधिक जागरूक करना था।"[2]

1. वैचारिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण- आज मीडिया संस्थानों के बीच वैचारिक विभाजन पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। कुछ संस्थान सत्ता के प्रति अत्यधिक सहानुभूतिपूर्ण दिखाई देते हैं, जबकि कुछ अन्य सरकार अथवा सत्ता पक्ष की लगभग प्रत्येक नीति को आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है, जब वैचारिक दृष्टिकोण तथ्यात्मक रिपोर्टिंग पर हावी हो जाता है। समाचार का उद्देश्य पाठक को तथ्य उपलब्ध कराना होना चाहिए, ताकि वह स्वयं निष्कर्ष निकाल सके। लेकिन यदि पत्रकार पहले निष्कर्ष तय कर ले और उसके समर्थन में तथ्यों का चयन करे, तो पत्रकारिता विश्लेषण के बजाय प्रचार का रूप ले सकती है। राजनीतिक ध्रुवीकरण का एक गंभीर परिणाम यह है कि पाठक भी अपने राजनीतिक विश्वासों के अनुसार मीडिया का चयन करने लगता है। फलतः समाज में साझा तथ्यों का आधार कमजोर होता है। Reuters Institute की रिपोर्ट में भी भारत के संदर्भ में अत्यधिक आलोचनात्मक अथवा अत्यधिक गैर-आलोचनात्मक समाचार ब्रांडों के प्रति अपेक्षाकृत कम भरोसे की ओर संकेत मिलता है।

2. मीडिया पूर्वाग्रह- मीडिया पूर्वाग्रह समाचार की निष्पक्षता को प्रभावित करता है। किसी घटना की एक ही व्याख्या को पूर्ण सत्य के रूप में प्रस्तुत करना, विरोधी पक्ष को पर्याप्त स्थान न देना, चयनात्मक तथ्यों को प्रमुखता देना अथवा भाषा के माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक धारणा निर्मित करना इसके प्रमुख रूप हैं। निष्पक्षता का अर्थ यह नहीं है कि पत्रकार हर विचार को समान रूप से सत्य माने, बल्कि इसका अर्थ है कि तथ्यों

की जाँच करके, स्रोतों का सत्यापन करके और संबंधित पक्षों को उचित अवसर देकर समाचार प्रस्तुत किया जाए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी पत्रकारिता में संयम, सावधानी और आत्म-नियमन के माध्यम से स्वतंत्रता तथा उत्तरदायित्व के बीच संतुलन की आवश्यकता पर बल देता है। "समझदार लोग, जो जानते हैं कि किस ख़बर को कैसे दिखाने से क्या होगा, जब एडिटर्स मीटिंग में बोलते हैं कि 'हाँ, ये वाला एंगल सही रहेगा', ख़बर की मौत तभी हो जाती है। जब आपके सामने एक चार्ट पड़ा होता है जिसमें पता चलता है कि हिन्दू-मुसलमान वाली ख़बरों को दिखाने से लोग पढ़ते हैं, तो आपको पत्रकारिता में मसीहाई पाने की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। आपने उस ख़बर के प्रभाव को पहले ही तय कर दिया कि उसका क्या होगा।"[3]

3. टीआरपी और व्यावसायिक हित- आधुनिक मीडिया के सामने आर्थिक स्थायित्व एक वास्तविक चुनौती है। समाचार संस्थानों को कर्मचारियों, तकनीक, वितरण और उत्पादन पर खर्च करना पड़ता है। इसलिए विज्ञापन, सदस्यता, प्रायोजन और अन्य राजस्व-स्रोतों की आवश्यकता होती है। समस्या तब उत्पन्न होती है, जब आर्थिक हित पत्रकारिता के मूल दायित्व पर हावी हो जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, कृषि, गरीबी, पर्यावरण और ग्रामीण संकट जैसे गंभीर मुद्दे अक्सर जटिल तथा दीर्घकालिक रिपोर्टिंग की माँग करते हैं। इसके विपरीत, विवाद, सनसनी, अपराध, राजनीतिक टकराव और उत्तेजक बहसें तत्काल दर्शकों को आकर्षित कर सकती हैं। इसीलिए टीआरपी-आधारित प्रतिस्पर्धा कभी-कभी जनहित से अधिक दर्शक-संख्या को प्राथमिकता देने लगती है। UNESCO ने भी डिजिटल युग में पत्रकारिता के पारंपरिक व्यावसायिक मॉडल पर बढ़ते दबाव को रेखांकित किया है और कहा है कि "तकनीकी परिवर्तन ने पत्रकारिता के सामने गुणवत्ता तथा स्थायित्व से जुड़े नए प्रश्न खड़े किए हैं।"[4]

4. कॉरपोरेट स्वामित्व और पेड न्यूज- मीडिया का कॉरपोरेट स्वामित्व अपने आप में पत्रकारिता की समस्या नहीं है, लेकिन स्वामित्व का अत्यधिक केंद्रीकरण संपादकीय विविधता और स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। जब किसी बड़े मीडिया समूह के आर्थिक हित अनेक क्षेत्रों में फैले हों, तब संपादकीय निर्णयों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव की आशंका उत्पन्न होती है। 'पेड न्यूज' इस समस्या का अधिक स्पष्ट रूप है। इसमें विज्ञापन अथवा भुगतान के बदले सामग्री को समाचार की तरह प्रस्तुत किया जाता है। इससे समाचार और विज्ञापन के बीच की सीमा समाप्त होती है और पाठक को भ्रमित किया जाता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया समय-समय पर चुनावों के दौरान 'पेड न्यूज' के संबंध में पत्रकारिता के निर्धारित मानकों का पालन करने की सलाह देता रहा है। इसलिए पेड न्यूज केवल पत्रकारिता की नैतिक समस्या नहीं है; यह लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया और नागरिकों के सूचित निर्णय के अधिकार को भी प्रभावित कर सकती है।

5. 'गोदी मीडिया' और 'एजेंडा पत्रकारिता'- 'गोदी मीडिया' जैसे शब्द भारतीय सार्वजनिक विमर्श में मीडिया की कथित सत्ता-निकटता को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसके विपरीत, कुछ संस्थानों पर 'सिर्फ विरोध के लिए विरोध' करने का आरोप लगाया जाता है। दोनों ही स्थितियों में पत्रकारिता की मूल कसौटी 'तथ्य और जनहित' कमजोर पड़ सकती है। यहाँ सावधानी आवश्यक है कि पूरे मीडिया जगत को किसी एक श्रेणी में रखना उचित नहीं होगा। भारत का मीडिया परिदृश्य अत्यंत विविध है और इसमें सार्वजनिक प्रसारक, बड़े समाचार समूह, क्षेत्रीय मीडिया, स्वतंत्र डिजिटल मंच, स्थानीय पत्रकार तथा नागरिक पत्रकारिता के अनेक रूप मौजूद हैं। Reuters Institute की 2026 की रिपोर्ट भी भारत में पारंपरिक मीडिया के साथ स्वतंत्र पत्रकारों और वीडियो-आधारित डिजिटल मंचों की विविध उपस्थिति को रेखांकित करती है।

6. सोशल मीडिया और फेक न्यूज- डिजिटल युग में समाचार की गति ने पत्रकारिता के सामने 'पहले प्रकाशित करने' और 'सही प्रकाशित करने' के बीच चुनाव की सबसे बड़ी चुनौती रखी है। सोशल मीडिया पर कोई सूचना वायरल होने के बाद मुख्यधारा का मीडिया यदि बिना सत्यापन उसे उठा लेता है, तो गलत सूचना को संस्थागत विश्वसनीयता मिल सकती है। UNESCO ने 'Information Disorder' की समस्या के संदर्भ में तथ्य-जाँच, स्रोत-सत्यापन, मीडिया साक्षरता और आलोचनात्मक सोच को पत्रकारिता के लिए आवश्यक बताया है। भारत में भी समाचार उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या डिजिटल माध्यमों से जुड़ रही है। Reuters Institute के 2026 के अध्ययन में 58 प्रतिशत भारतीय उत्तरदाताओं ने ऑनलाइन फेक न्यूज और दुष्प्रचार को लेकर चिंता व्यक्त की— "फेक न्यूज केवल गलत सूचना नहीं है; यह चुनाव, सांप्रदायिक संबंधों, सामाजिक प्रतिष्ठा और सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने वाला उपकरण भी बन सकती है।"[5] इसलिए पत्रकार के लिए स्रोत की विश्वसनीयता, फोटो-वीडियो की प्रामाणिकता, तिथि, स्थान और संदर्भ की जाँच अत्यंत आवश्यक है।

7. सरकारी दबाव और सेंसरशिप- पत्रकारिता की स्वतंत्रता का एक दूसरा पक्ष सत्ता अथवा प्रशासनिक दबाव से स्वतंत्रता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की आलोचना को लोकतंत्र-विरोधी नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि स्वस्थ आलोचना शासन को अधिक उत्तरदायी बनाने में सहायता करती है। दूसरी ओर, पत्रकारिता को भी अपनी स्वतंत्रता का उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए। तथ्यहीन आरोप, मानहानिकारक सामग्री अथवा जानबूझकर गलत सूचना को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः चुनौती 'सरकार बनाम मीडिया' की सरल द्वंद्वात्मक स्थिति नहीं है। वास्तविक चुनौती ऐसी व्यवस्था निर्मित करने की है जिसमें पत्रकार सत्ता से स्वतंत्र होकर प्रश्न पूछ सके और साथ ही तथ्य तथा कानून के प्रति उत्तरदायी भी रहे।

8. मीडिया ट्रायल- मीडिया ट्रायल आधुनिक पत्रकारिता की सबसे गंभीर नैतिक समस्याओं में से एक है। किसी आरोपित व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय का निर्णय आने से पहले ही उसे दोषी के रूप में प्रस्तुत करना उसकी प्रतिष्ठा, निजता और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को प्रभावित कर सकता है। भारतीय संदर्भ में आरुषि तलवार-हेमराज हत्याकांड का उदाहरण अक्सर मीडिया ट्रायल की चर्चा में दिया जाता है। ऐसे मामलों में सनसनीखेज रिपोर्टिंग, अपुष्ट सूचनाओं और अनुमान-आधारित आख्यानों से जनता की धारणा प्रभावित हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी मीडिया रिपोर्टिंग और निष्पक्ष जाँच के संबंध में चिंता व्यक्त की है। एक निर्णय में न्यायालय ने कहा कि जाँच के दौरान मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक धारणा को प्रभावित करना निष्पक्ष जाँच को प्रभावित कर सकता है। एक अन्य निर्णय में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि "जाँच और विचारण के दौरान निष्पक्ष रिपोर्टिंग आवश्यक है तथा पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग निर्दोषता की धारणा और व्यक्ति की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती है।"[6] अतः मीडिया का दायित्व है कि वह सूचना दे, प्रश्न उठाए और न्यायिक प्रक्रिया पर आवश्यक सार्वजनिक विमर्श करे, लेकिन स्वयं न्यायालय की भूमिका ग्रहण न करे।

पक्षपातपूर्ण सूचना का लोकतंत्र पर प्रभाव

जब समाचार और विचार के बीच अंतर समाप्त हो जाता है, तब नागरिक के लिए वास्तविक तथ्यों को पहचानना कठिन हो जाता है। लोकतंत्र सूचित नागरिकों पर निर्भर करता है। यदि नागरिकों को लगातार आधी-अधूरी, भ्रामक अथवा पक्षपातपूर्ण सूचना मिलती है, तो उनका निर्णय भी प्रभावित हो सकता है। पूर्वाग्रहपूर्ण बहसें समाज को 'हम' और 'वे' में विभाजित कर सकती हैं। राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा हैं, लेकिन जब मीडिया इन मतभेदों को शत्रुता में बदल देता है, तब सामाजिक संवाद कमजोर होता है। जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा अथवा राजनीतिक

पहचान से जुड़ी संवेदनशील खबरों में गैर-जिम्मेदार प्रस्तुति सामाजिक तनाव को बढ़ा सकती है। पत्रकारिता का दायित्व उत्तेजना पैदा करना नहीं, बल्कि तथ्य और संदर्भ उपलब्ध कराना है।

मीडिया का एक प्रमुख लोकतांत्रिक कार्य सत्ता से प्रश्न पूछना है। यदि पत्रकारिता राजनीतिक दबाव, स्वामित्व अथवा आर्थिक निर्भरता के कारण सत्ता से असहज प्रश्न पूछने से बचती है, तो लोकतांत्रिक नियंत्रण कमजोर होता है। पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूँजी उसकी विश्वसनीयता है। एक बार पाठक यह मानने लगे कि समाचार किसी राजनीतिक या व्यावसायिक हित से प्रभावित है, तो वह पूरे मीडिया तंत्र पर अविश्वास करने लगता है। "मीडिया का काम सत्ता की आलोचना तक ही सीमित नहीं है। मीडिया का एक काम सूचना पहुँचाना है, और एक काम विवेचना है। विवेचना और चर्चा सिर्फ नाकामियाँ और खोट गिनाने के लिए नहीं होती, न ही सिर्फ हर बात को देवत्व के स्तर पर ले जाकर बताने के लिए होती है। जहाँ सत्ता सही कर रही है, जिस अनुपात में कर रही है, उसी अनुपात में आलोचना और विवेचना होनी चाहिए।"[7] भारत में समाचारों पर विश्वास के घटते स्तर का संकेत हालिया शोध में मिलता है। Reuters Institute के 2026 के अध्ययन में भारत का समग्र समाचार-विश्वास 39 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में चार प्रतिशतांक कम था। यह केवल मीडिया संस्थानों की समस्या नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक सार्वजनिक विमर्श के लिए भी गंभीर संकेत है।

पत्रकारिता को पथभ्रष्टता से बचाने के उपाय

आधुनिक पत्रकारिता की समस्याओं का समाधान किसी एक संस्था अथवा कानून से संभव नहीं है। इसके लिए पत्रकार, संपादक, मीडिया स्वामी, पाठक, सरकार और नियामक संस्थाओं—सभी की भूमिका आवश्यक है। तथ्य-जाँच को पत्रकारिता की अनिवार्य प्रक्रिया बनाया जाना चाहिए। 'सबसे पहले' से अधिक महत्व 'सबसे सही' को दिया जाना चाहिए। समाचार और विचार को स्पष्ट रूप से अलग किया जाना चाहिए। संपादकीय, विश्लेषण और समाचार रिपोर्ट के बीच स्पष्ट अंतर पाठक के सामने होना चाहिए। समाचार संस्थानों को अपनी स्वामित्व-संरचना, विज्ञापन और प्रायोजित सामग्री के संबंध में अधिक पारदर्शी होना चाहिए। पेड न्यूज के विरुद्ध कठोर संपादकीय और संस्थागत व्यवस्था आवश्यक है। विज्ञापन को समाचार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। "आज हिंदी पत्रकारिता कई चुनौतियों का सामना कर रही है। सबसे बड़ी चुनौती है विश्वसनीयता बनाए रखना। डिजिटल युग में खबरें तेजी से फैलती हैं, लेकिन उनकी सत्यता की जांच कई बार नहीं हो पाती। दूसरी बड़ी चुनौती आर्थिक दबाव है। विज्ञापन आधारित मॉडल पर निर्भरता के कारण कई बार समाचार की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसके अलावा पत्रकारों पर बढ़ता दबाव और स्वतंत्र पत्रकारिता की कमी भी एक गंभीर समस्या है। एक और चुनौती है क्षेत्रीय और ग्रामीण पत्रकारिता का कमजोर होना। जहां शहरों में मीडिया का विस्तार हुआ है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएँ अक्सर उपेक्षित रह जाती हैं।"[8]

मीडिया में आत्म-नियमन को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पत्रकारिता-आचरण संबंधी मानक इसी दिशा में महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं।[9] पत्रकारों को डिजिटल सत्यापन, डेटा पत्रकारिता, ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से निर्मित सामग्री की पहचान और सोशल मीडिया सत्यापन का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मीडिया साक्षरता को विद्यालयी और उच्च शिक्षा के स्तर पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नागरिकों को यह सिखाना आवश्यक है कि समाचार, विज्ञापन, प्रचार, राय और दुष्प्रचार में क्या अंतर है। मीडिया संस्थानों में संपादकीय स्वतंत्रता को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए। पत्रकार का दायित्व किसी दल, नेता, कॉरपोरेट या सरकार के प्रति नहीं, बल्कि सत्य, संविधान, कानून और जनहित के प्रति होना चाहिए और मीडिया ट्रायल से बचने के लिए न्यायिक

मामलों की रिपोर्टिंग में निर्दोषता की धारणा, निजता और निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों का सम्मान किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय इस संतुलन की आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं।

निष्कर्ष-

आधुनिक पत्रकारिता एक संक्रमणकाल से गुजर रही है। एक ओर उसके पास पहले से कहीं अधिक तकनीकी साधन, वैश्विक पहुँच और अभिव्यक्ति के मंच उपलब्ध हैं; दूसरी ओर राजनीतिक ध्रुवीकरण, व्यावसायिक दबाव, कॉरपोरेट स्वामित्व, टीआरपी की प्रतिस्पर्धा, फेक न्यूज, सोशल मीडिया और घटता जनविश्वास उसकी विश्वसनीयता को चुनौती दे रहे हैं। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहना तभी सार्थक है, जब वह सत्ता के निकट होने के बजाय सत्य के निकट हो। किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन अथवा विरोध अपने आप में पत्रकारिता का दोष नहीं है; दोष तब उत्पन्न होता है, जब वैचारिक आग्रह तथ्यात्मक सत्य पर हावी हो जाता है। इसी प्रकार सरकार की आलोचना पत्रकारिता-विरोधी नहीं है और सरकार की किसी नीति की प्रशंसा भी अपने आप में पक्षपात नहीं है। वास्तविक कसौटी तथ्य, प्रमाण, संतुलन और जनहित है। मीडिया को यह समझना होगा कि उसका वास्तविक उत्तरदायित्व राजनीतिक दलों, विज्ञापनदाताओं अथवा कॉरपोरेट स्वामियों के प्रति नहीं, बल्कि नागरिक समाज के प्रति है। प्रेस काउंसिल के अनुसार स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के बीच संतुलन तथा आत्म-नियमन पत्रकारिता के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक हैं। डिजिटल युग में पत्रकारिता की विश्वसनीयता बचाने का सबसे प्रभावी रास्ता भी वही है- सत्यापन, निष्पक्षता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। UNESCO भी सूचना-विकार के बढ़ते संकट के बीच तथ्य-जाँच, डिजिटल सत्यापन और मीडिया साक्षरता को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। अतः आधुनिक पत्रकारिता को 'मिशन' के पुराने रोमानी आदर्श में लौटने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने मूल लोकतांत्रिक दायित्वों को आधुनिक परिस्थितियों के अनुरूप पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। पत्रकारिता व्यवसाय हो सकती है, लेकिन उसे केवल व्यवसाय नहीं बनना चाहिए। वह तकनीकी रूप से आधुनिक हो सकती है, लेकिन उसे नैतिक रूप से कमजोर नहीं होना चाहिए। वह राजनीतिक प्रश्नों पर कठोर हो सकती है, लेकिन तथ्य के प्रति कठोरता उससे भी अधिक आवश्यक है। अंततः पत्रकारिता की शक्ति उसकी पहुँच में नहीं, उसकी विश्वसनीयता में है। जिस दिन नागरिकों को यह विश्वास हो जाएगा कि मीडिया न सत्ता का प्रवक्ता है, न विपक्ष का प्रचारक और न ही बाजार का मात्र उपकरण, बल्कि सत्य और जनहित का प्रहरी है, उसी दिन पत्रकारिता अपने वास्तविक लोकतांत्रिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर सकेगी।

सन्दर्भ सूची-

1. रॉयटर्स पत्रकारिता अध्ययन संस्थान, डिजिटल समाचार रिपोर्ट 2026 : भारत, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, 2026
2. प्रवक्ता.कॉम, आलेख-पत्रकार और पत्रकारिता का गिरता स्तर- अनिल अनूप
3. वही
4. यूनेस्को, नैतिक पत्रकारिता : समाचारों में पुनः वापसी, यूनेस्को, 2017
5. रॉयटर्स पत्रकारिता अध्ययन संस्थान, डिजिटल समाचार रिपोर्ट 2026 : भारत, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, 2026
6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मीडिया रिपोर्टिंग, निष्पक्ष जाँच, निर्दोषता की धारणा और मीडिया ट्रायल से संबंधित न्यायिक निर्णय।
7. प्रवक्ता.कॉम, आलेख-पत्रकार और पत्रकारिता का गिरता स्तर- अनिल अनूप

8. https://ddnews.gov.in आलेख- हिंदी पत्रकारिता का इतिहास और आधुनिक चुनौतियां- नीरज कुमार सिंह
9. भारतीय प्रेस परिषद, पत्रकारिता आचरण के मानदंड, 2022